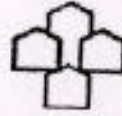


हमारा यही प्रयास



ISO 9001:2000 Certified

सबका अपना

कार्यालय वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-प्रथम

वसुन्धरा आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा गाजियाबाद।

दूरभाष : 0120-2885632 : email : apunit6@indiatimes.com

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति पत्र

संख्या 632 / नि० प्रा०-०५/१२-१३/वा० नि०-१ गा०

दिनांक ०१-०९-२०१२

सेवा में

मैसर्स एस०के०जी० होम्स प्रा० लिमि०,
द्वारा श्री पीशुष, गुप्ता, डायरेक्टर,
1007, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बारा खम्बा रोड,
नई दिल्ली।

विषय: मुफ्हाउसिंग भूखण्ड संख्या-13/जी०एच०-०१ वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के प्रस्तावित मानचित्र उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत/निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास आयुक्त (म०) की अध्यक्षता में दिनांक 8.8.2012 को 15 मी० से अधिक ऊँचाई वाले बहुमजिले भवनों के मानचित्रों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति द्वारा विचारोपरान्त आपके मानचित्र को कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त भूखण्ड संख्या 13/जी०एच०-०१, वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में निर्माण करने हेतु आपके आवेदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 01.09.2012 से 31.08.2017 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों, सहित मान्य होगा।
4. प्रस्तावित भूखण्ड का मानचित्र यदि पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो उसे एतद्वारा निरस्त समझा जायेगा।
5. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-०१, उ० प्र० आवास विकास परिषद वसुन्धरा योजना गाजियाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
6. यह स्वीकृति नियमानुसार 03 Basement + Still + 12 तलों के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है।
7. स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का सब-डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा, तथा वर्तमान मानचित्र में कुल 48 तम फ्लैट्स का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
8. यह स्वीकृति 3158.40 वर्गमी० के भूखण्ड पर 14154.92 वर्गमी० एफ०ए०आर० क्षेत्रफल (कुल 2471 एफ०ए०आर०) हेतु प्रदान की जा रही है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा कंटागन अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. Visitors Parking का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना अनिवार्य करना होगा।
11. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
12. उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण लिये गये निर्णय के सापेक्ष आपके प्रत्यावेदन दि० 29.8.12 पर विचारोपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक (म०) के आदेशानुसार भवन की प्रस्तावित ऊँचाई हेतु सिविल एविएशन/हिण्डन एअरपोर्ट से वांछित एन०ओ०सी० 03 माह के अन्दर आपको प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उक्त बिल्डिंग की ऊँचाई 30 मीटर तक की स्वीकृत मानी जायेगी।

कमशः/2

13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
14. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान बिल्डिंग में किया जाना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
16. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।
17. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
18. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
19. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरप्पा की गयी है।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
21. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक एफ0एस0/एच0आर0-07/2012 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा जारी प्राथमिक/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्निशमन व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अग्निशमन विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
22. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
23. भवन के उपयोग से पूर्व अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (14 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (11 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणनाओं का एक सेट (154 नग पृष्ठ)
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुए CFO गाजियाबाद से अनुमोदित मानचित्र (11 नग शीट्स)


31/8/12

(एस0 जे0 यादव)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 1-9-12

पू0सं0. / उक्त /

प्रतिलिपि 1. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-01, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र का एक सेट व प्रपत्र-‘च’ सहित संलग्न प्रेषित।

4. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी